

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से राणा चौक (किमी० चैनेज 102.05 से 113.440) सुजड़ चौक से राणा चौक (पी०डब्लू०डी० किमी० चैनेज 3.000 से 0.000) व चरथावल मोड़ से पीनना बाईपास (पी०डब्लू०डी० किमी० चैनेज 71.900 से 69.400) कुल लंबाई 16.890 किमी० में 12" व 8" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.8445 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं० एफपी/यू०पी०/अदर्स/121957/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के

शासनादेश-पी 108/81-2-2021-800(91), दिनांक 16/07/2021 के द्वारा प्रस्ताव पर

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(एउपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

16/07/2021

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)

सचिव

पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।